पत्रांक–2097/Tech./2020

अग्निशमन सेवा मुख्यालय, झारखण्ड, राँची।

दिनांक–07वीं अक्टूबर 2020

सेवा में,

Falguni Nah Kashyap Baidath Sahu,
Ashok Kumar Kashyap Baliram Sahu,
Jay Govind Tarun Anand Bihari Kishor Kumar Kashyap Vijay Kumar
C/O Morise Infrastructure Pvt Ltd Pustak Bhawan Complex,
Court Road,P,S,-Kotwali, Ranchi.

विषयः– **मौजा–पुंदाग, प्लाट नं0–410, खाता नं0–80, वार्ड नं0–00, थाना–228, जिला–राँची में प्रस्तावित बहुमंजिली आवासीस भवन हेतु अग्नि–सुरक्षात्मक सलाह के संबंध में।**

आपके द्वारा समर्पित ऑनलाईन प्रस्ताव के आलोक में प्रस्तावित आवासीय बहुमंजिली भवन के अग्नि–सुरक्षात्मक उपायों की जाँच प्रभारी अग्निशमन पदाधिकारी, पिस्का मोड़, राँची से कराई गई। उनके ज्ञापांक–197 दिनांक–06.10.2020 के माध्यम से समर्पित जाँच प्रतिवेदन एवं प्रतिवेदन में की गई अनुशंसा के आलोक में डाउनलोड किये गये प्लान के अनुसार उक्त प्रस्तावित बहुमंजिली आवासीय भवन के लिए निम्नांकित अग्नि–सुरक्षात्मक सलाह दिये जाते है :–

1. प्रस्तावित आवासीय भवन के परिसर के सामने वाले भाग में कम से कम 50,000 लीटर की क्षमता वाले अंडरग्राउण्ड स्टैटिक वाटर टैंक का निर्माण ऐसे स्थान पर कराया जाय, जहाँ अग्निशमन वाहन आसानी से पहुँचकर पानी ले सके।
2. किसी भी आकस्मिकता की स्थिति में इस टैंक से अग्निशमन वाहनों को पानी लिये जाने हेतु ड्रॉ–आउट कनेक्शन दिये जाने की व्यवस्था की जाय।
3. प्रस्तावित भवन में अग्निशमन कार्य हेतु कम से कम बीस–बीस हजार लीटर क्षमता वाले ओभरहेड वाटर टैंक का निर्माण कराया जाय।
4. ओभरहेड टैंक से जुड़ा हुआ भवन के प्रत्येक स्टेयरकेश लॉबियों में एक वेट राईजर कम डाउन कमर सिस्टम का संस्थापन कराया जाय, जिसमें प्रत्येक तलों पर 30 मी0 लम्बा होज रील होज, 63 MM डाया का डिलिवरी आउटलेट तथा दो–दो अदद डिलिवरी होज एवं एक–एक अदद ब्रांच सहित एक–एक होज बॉक्स का संस्थापन कराया जाय।
5. अग्निशमन कार्य हेतु एक पम्प हाउस का निर्माण कराया जाय, जिसमें 1650 Lpm क्षमता का एक फायर पम्प का संस्थापन कराया जाय।
6. समान क्षमता का वैकल्पिक पावर चालित एक–एक पम्प आरक्षित अवस्था में रखा जाय।
7. प्रस्तावित भवन में 450 Lpm क्षमता वाले एक टेरेस पम्प का संस्थापन कराया जाय।
8. इन सभी पम्पों को स्वतंत्र विद्युत व्यवस्था से जोड़कर रखा जाय।
9. पंपिंग सिस्टम पॉजिटिव सक्शन वाले रहेंगे।
10. उपर्युक्त भवनों के लिफ्टों को फायर लिफ्ट के रूप में निर्मित किया जाय, जिसकी क्षमता 544 के0जी0 से कम की न हो। इसे स्वतंत्र रूप से वैकल्पिक पावर के माध्यम से जोड़कर रखे जाने की व्यवस्था की जाय। सीढ़ियों को Enclosed Staircase के रूप में निर्मित किया जाय।
11. प्रस्तावित भवन के किसी भी सेटबैक एरिया को किसी भी प्रकार से बाधित नहीं किया जाय, ताकि अग्निशमन एवं बचाव कार्य में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न न हो।
12. सतही तल मुख्य प्रवेश द्वार एवं निकास द्वार के पास फोरवेज फायर सर्विस इनलेट का संस्थापन कराया जाय।
13. प्रस्तावित भवन के सतही तल को स्वचालित स्प्रिंकलर से सुरक्षित किया जाय एवं यार्ड हाईड्रेण्ट दिये जाने की व्यवस्था की जाय। यार्ड हाईड्रेण्ट के पास डिलिवरी आउटलेट तथा दो अदद डिलिवरी होज एवं एक अदद ब्रांच सहित एक–एक होज बॉक्स का संस्थापन कराया जाय।
14. Exit & Leading to Exit Way को कभी भी किसी प्रकार से बाधित नहीं किया जाय। सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी स्थिति में ट्रैवेल डिसटेंस 30 मीटर से अधिक नहीं हो।
15. प्रस्तावित भवन की विद्युत व्यवस्था किसी लाइसेंसी इलेक्ट्रिशियन के माध्यम से हीं कराया जाय।

16. मुख्य स्टेयरकेश लॉबी के प्रत्येक तलों पर 06 के0जी0 क्षमता के 04-04 अदद डी0सी0पी0 अग्निशमन यंत्र रखा जाय।
17. मेन इलेक्ट्रिकल स्वीच बोर्ड को Fire Supression System से सुरक्षित किया जाय।
18. बिजली के मेन स्विच बोर्ड के पास 04.5 के0जी0 क्षमता के 02-02 अदद सी0ओ0टू0 तथा 06 के0जी0 क्षमता के 02-02 अदद डी0सी0पी0 अग्निशमन यंत्र रखे जाने की व्यवस्था की जाय।
19. Manually Operated Electronic Fire Alarm लगाये जाने की व्यवस्था की जाय, जिसका कॉल प्वाईंट प्रत्येक तल पर स्टेयरकेश लॉबी में हो।
20. भवन में मानक के अनुरूप तड़ित चालक लगाये जाने की व्यवस्था की जाय।
21. भवन को उपयोग में लाये जाने के पूर्व भवन में संस्थापित किये गये अग्नि–सुरक्षात्मक व्यवस्था का विस्तृत प्लान इस कार्यालय को उपलब्ध कराते हुए जॉच प्रतिवेदन अवश्य प्राप्त कर लेंगे साथ हीं आवेदक अनापत्ति प्रमाणपत्र प्राप्त करने से पूर्व पूरी तरह भरा हुआ सेल्फ अप्रेजल चेक लिस्ट एवं नोटरी पब्लिक के द्वारा जारी एक शपथ पत्र समर्पित करेंगे कि अग्निशमन सेवा मुख्यालय के द्वारा दिये गये सुझावों का अनुपालन पूरी तरह करा लिया गया है।
22. अग्नि–सुरक्षा के दृष्टिकोण से दिये गये सुझावों के अनुपालन की जाँच इस कार्यालय से कराये जाने एवं जाँच में संतोषप्रद पाये जाने के पश्चात हीं अनापत्ति प्रमाणपत्र निर्गत किये जायेंगे।
23. निर्मित भवन के किसी भी भाग में बाद में यदि Plan अथवा Nature Of Occupancy में बदलाव किया जाता है तो इस कार्यालय को सूचित करके Clearance अवश्य प्राप्त करेंगे।
24. राष्ट्रीय भवन संहिता भाग IV के नियम 6.1 में वर्णित सुरक्षा व्यवस्थाओं का दृढ़ता से अनुपालन किया जाय।

BANDHU ORAON

Digitally signed by BANDHU ORAON
DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF JHARKHAND, ou=HOME JAIL AND DISASTER MANAGEMENT, cn=BANDHU ORAON, serialNumber=bbb8d056bfb786d39b4c8876db8734d26ec9cfaf87ab115ea2c0348e16ab6005, postalCode=834002, 2.5.4.20=1939424e11492aab227f7c7653cba3d3feeb7bfb517b044a061986ba64a39d09, st=Jharkhand
Date: 2020.10.07 13:16:06 +05'30'

(बन्धु उराँव),
प्रभारी अपर राज्य अग्निशमन पदाधिकारी,
झारखण्ड, राँची।